संख्या : 344474/ I:- 90619/XXVII(1)/2025

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/
विशेष प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–01

देहरादून : दिनांक 13 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2025

विषय: **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI)** के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI)** के अन्तर्गत राज्य को पूंजीगत कार्य हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में SASCI Capital Outaly को बढावा देने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण योजना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2025-26 हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र सं.–44(1)/PF-S/2025–26(CAPEX) दिनांक 07.04.2025 द्वारा निर्गत गाइडलाईन में निर्दिष्ट "Other Conditions" के बिन्दु–02 में उल्लेख किया गया है कि "Funds provided to the states governments/UT Administration under the schemes by the Government of India may be used by the state government for both new and ongoing capital projects, for long term benefit to the State. **The funds may also be used for settling pending bills in ongoing capital projects.**"

2– प्रायः यह देखा गया है कि भारत सरकार से अधिकांश धनराशि वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में ही प्राप्त होती है। कार्यहित में कतिपय विभागों द्वारा SASCI के अन्तर्गत प्रस्तावित/अनुमोदित कार्यों का वित्तपोषण/भुगतान राज्य पोषित योजनाओं से कर दिया जाता है। इस स्थिति में सम्बन्धित योजना में SASCI के सापेक्ष प्राप्त धनराशि के समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में भी SASCI के सम्बन्ध में समायोजन (Book Adjustment) हेतु मानक लेखांकन प्रकिया (Standared Accounting Process) की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस संदर्भ में महालेखाकार कार्यालय से विचार–विमर्श किया गया।

3– तदक्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन पूंजीगत कार्यों के अन्तर्गत विभागों द्वारा राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति/भुगतान किया गया हो तथा तदोपरान्त उक्त कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा SASCI के अन्तर्गत भी धनराशि अवमुक्त की गयी हो तो उक्तानुसार आच्छादित प्रकरणों में IFMS के माध्यम से निम्नानुसार समायोजन (Book Adjustment) किया जायेगा :–

Debit Entry : अनुदान सं.–07 के मुख्य शीर्षक–4059–
उप मुख्य शीर्षक–80–
लघु शीर्षक–800–

File No. FIN1/17/2025-XXVII-1-Finance Department (Computer No. 90619)
Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA PATHAK, PO Finance Section-I KCP, PO FINANCE, Finance Department on 13/11/2025 12:21:27 pm

Scanned with OKEN Scanner

उप शीर्षक–26–
विस्तृत शीर्षक–00–
मानक मद– 53

Deduct Debit Entry : अनुदान सं. (सम्बन्धित विभाग का अनुदान)– .....
मुख्य शीर्षक (विभागीय लेखाशीर्षक)–.....
उप मुख्य शीर्षक (विभागीय लेखाशीर्षक)–.....
लघु शीर्षक (विभागीय लेखाशीर्षक)–.....
उप शीर्षक (विभागीय लेखाशीर्षक)–.....
विस्तृत शीर्षक (विभागीय लेखाशीर्षक)–.....
मानक मद (विभागीय लेखाशीर्षक)–.....

4– ऐसे प्रकरणों में Book Adjustment के समय विभागों द्वारा उस विभागीय लेखाशीर्षक से सम्बन्धित वाउचर लगाये जायेंगे, जिस लेखाशीर्षक से पूर्व में धनराशि की स्वीकृति/आहरण किया गया हो।

5– तदोपरान्त विभागों द्वारा SASCI के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर यथासमय नियोजन विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

6– कृपया उपरोक्त दिशानिर्देशानुसार समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by Dilip Jawalkar
Date: 13-12-2025 12:21:45

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या : 344474 E- 90619/XXVII(1)/2025 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/वित्त नियन्त्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner